सूचना

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के द्वारा प्रकाशित कराए गए ई–निविदा संख्या 01/2013–14 के आलोक में प्री–बीड मिटिंग का आयोजन एवं विभिन्न एजेंसियों की पृच्छाओं के निराकरण के संबंध में विभागीय दिशा निदेश।

आधुनिक तकनीक से री–सर्वे कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किए जाने वाले खेसरा पंजी (प्रपत्र – 6) के आधार पर डाटा इंट्री तथा तैयार किए गए डाटाबेस के आधार पर खानापुरी पर्चा (प्रपत्र – 7), अधिकार अभिलेख का प्रारूप प्रकाशन (प्रपत्र – 12) तथा अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन (प्रपत्र – 20) की प्रिन्टिंग एवं रैयतों के बीच खानापुरी पर्चा के वितरण कार्य हेतु भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा ई–निविदा संख्या 01/2013–14 प्रकाशित कराया गया है। प्रकाशित निविदा के संबंध में विभिन्न एजेंसियों की पृच्छाओं के निराकरण हेतु दिनांक 08.01.2014 को सचिव–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में प्री–बीड मिटिंग का आयोजन किया गया। प्री–बीड मिटिंग में विभिन्न एजेंसियों द्वारा पृच्छाएँ की गयी, जिसका निराकरण सचिव–सह–निदेशक द्वारा किया गया। तकनीकी पृच्छाओं के संबंध में एन0आई0सी0, पटना के तकनीकी अधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी।

प्री–बीड मिटिंग में एजेंसियों की पृच्छाओं एवं विभाग द्वारा दिए गए दिशा निदेश का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	एजेंसियों की पृच्छाएँ	विभागीय दिशा निदेश
1	यदि किसी राजस्व ग्राम में खेसरा की संख्या 1000 है और रैयतों की संख्या 600 है, तो अभिलेख प्रिन्टिंग के लिए किसे आधार माना जाएगा ?	अभिलेख का निर्माण रैयतवार करने का प्रावधान है। अतएव एजेंसियों के लिए रैयतों की संख्या के आधार पर अभिलेख का प्रिन्ट आउट उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
2	प्रपत्र – 6 में खतियान का क्रम संख्या नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रपत्र – 6 से डाटा इंट्री करने पर प्रपत्र – 12 में खतियान का क्रम संख्या की सूचना के साथ प्रिन्ट आउट कैसे उपलब्ध कराया जा सकेगा ?	एजेंसियों को डाटा इंट्री के लिए एक ऐसा प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें प्रपत्र – 6, 7 एवं 12 के सभी कॉलम से संबंधित डाटा के इंट्री के लिए कॉलम उपलब्ध होंगे। इसके आधार पर डाटा इंट्री करने के बाद एन0आई0सी0 के सॉफ्टवेयर की मदद से सभी वांछित सूचनाओं के साथ प्रपत्र – 7, 12 एवं 20 की प्रतियाँ तैयार की जा सकेगी।

क्र0सं0	एजेंसियों की पृच्छाएँ	विभागीय दिशा निर्देश
3	डाटा इंट्री, अभिलेख प्रिन्टिंग तथा रैयतों के बीच खानापुरी पर्चा के वितरण के लिए दर की इकाई क्या होगी ?	प्रकाशित ई–निविदा के वित्तीय (दर अंकित करने वाले) प्रपत्र में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि डाटा इंट्री के लिए प्रति खेसरा, प्रिन्टिंग के लिए प्रति पेज तथा खानापुरी पर्चा के वितरण के लिए प्रति रैयत को इकाई मानते हुए दर प्रतिवेदित करना है।
4	खेसरा पंजी के प्रपत्र – 6 में फसल के नाम के साथ सूचना देनी है या मात्र रकबा की प्रविष्टि करनी है।	मात्र रकबा की प्रविष्टि करनी है।
5	इ0एम0डी0 तथा बैंक गारंटी की राशि की वैधता ई–निविदा सूचना में 240 दिनों के लिए अनुमान्य की गयी है, जबकि वर्त्तमान में इसकी अनुमान्यता मात्र 90 दिनों की ही होती है।	विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इ0एम0डी0 तथा बैंक गारंटी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि की वैधता 90 दिनों के लिए ही अनुमान्य मानी जाएगी। वर्णित परिस्थिति में एन0आई0टी0 (अंग्रेजी अनुवाद) के Essential Requirement की कंडिका ।। में अंकित 240 दिन को 90 दिन के रूप में संशोधित समझा जाएगा।
6	एन0आई0टी0 में निविदा मूल्य 16854/= रूपये दर्शाया गया है। इस राशि के अतिरिक्त बेलट्रॉन के लिए कितनी राशि जमा करनी होगी?	एन0आई0टी0 में अंकित 16854/= रूपये निविदा मूल्य की राशि वस्तुतः बेलट्रॉन के लिए ही भुगतेय होगी। निविदा आमंत्रण सूचना (हिन्दी अनुवाद) की कंडिका – 11 में इसे स्पष्ट कर दिया गया है। इस राशि को लौटाया नहीं (Non Refundabale) जाएगा। एजेंसियों द्वारा Earnest Money (2.00 लाख) रूपये तथा निविदा शुल्क (16854/=रूपये) की राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट की हार्ड कॉपी निदेशालय में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। इसकी स्कैन प्रति ई–प्रोक्योरमेन्ट के वेबसाईट पर अपलोड करनी होगी।
7	सेवाकर/भैट की राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा ?	विभाग द्वारा प्रकाशित ई–निविदा के वित्तीय निविदा के प्रपत्र में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है कि एजेंसियों द्वारा सभी कर सहित दर अंकित करना है। देयकर की राशि के भुगतान की पूरी जिम्मेवारी संबंधित एजेंसी की होगी। एजेंसी को भुगतान के पूर्व बंदोबस्त कार्यालय द्वारा अनुमान्य दर पर टी0डी0एस0 की कटौति करने के बाद राशि का भुगतान किया जाएगा।

क्र0सं0	एजेंसियों की पृच्छाएँ	विभागीय दिशा निदेश
8	भुगतान का स्वरूप/प्रक्रिया (Mode of Payment) क्या होगा ?	भुगतान की सारी कार्रवाई संबंधित बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा की जाएगी। एक राजस्व ग्राम का कार्य पूरा होने के उपरांत संबंधित एजेंसियाँ भुगतान के लिए संबंधित बंदोबस्त पदाधिकारी को विपत्र उपलब्ध करा सकती है।
9	भुगतान के क्रम में पृष्ठों की गणना का माप दण्ड क्या होगा ?	भुगतान के क्रम में बंदोबस्त कार्यालय द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित एवं शत प्रतिशत शुद्धता वाले पृष्ठों की संख्या के आधार पर राशि की गणना की जाएगी। अर्थात डाटा इंट्री करने तथा अंतिम रूप से शत प्रतिशत शुद्धता वाले पृष्ठ उपलब्ध कराने के बीच नमूना के तौर पर यदि पृष्ठ एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इसे पारिश्रमिक की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
10	अग्रिम का भुगतान किया जाएगा अथवा नहीं।	इस प्रकार के कार्य के लिए अग्रिम के रूप में राशि के भुगतान का प्रावधान नहीं रखा गया है।
11	डाटा प्राप्ति का स्रोत क्या होगा ?	चयनित एजेंसियों को डाटा उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित बंदोबस्त कार्यालय का होगा।
12	निविदा अभिलेख के ऑनलाईन सेल/डाउनलोड करने की अंतिम तारीख को 3–4 दिनों तक के लिए विस्तारित किया जाए।	विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि निविदा अभिलेख के ऑनलाईन सेल/डाउनलोड करने की अंतिम तारीख को 19.01.2014 से बढ़ाकर 23 जनवरी, 2014 (15:00 घंटे) तक के लिए विस्तारित किया जाता है। इसके फलस्वरूप एन0आई0टी0 (अंग्रेजी अनुवाद) की कंडिका – 1 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। सभी एजेंसियों को विशेष रूप से निदेश दिया गया कि ई–टेन्डरिंग के क्रम में किसी भी प्रकार की तकनीकी रूकावट की संभावना से बचने के लिए निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से पहले (कम से कम 03 दिन) ही विधिवत रूप से निविदा अपलोड करने का प्रयास करें। ऐसा करने पर अंतिम तिथि के समय उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के अप्रत्याशित तकनीकी रूकावट के दुष्परिणाम से बचा जा सकेगा।

ह0/– 9.1.14
(रामश्रेष्ठ राय)
प्रशाखा पदाधिकारी
भू–अभिलेख परिमाप निदेशालय

ज्ञापांक :– 17–योजना (बाह्यस्रोतीकरण)–22/2012–49 **पटना, दिनांक** :– 09/01/14

प्रतिलिपि :– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट एवं ई–प्रोक्योरमेन्ट के वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर अपलोड करने के लिए प्रेषित।

ह0/– 9.1.14
(रामश्रेष्ठ राय)
प्रशाखा पदाधिकारी

D:\Year 2014\Prakash Ranjan\Notice\Pre-Bid Information.doc